

दिनांक 29.04.2016 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में आहूत पी0ए0एम0सी0 की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- सूची के अनुसार।

आज दिनांक 29.04.2016 को प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में पी0ए0एम0सी0 की बैठक आहूत की गई। जिसके अन्तर्गत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. निम्नांकित परियोजना पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये :-

क्र0	परियोजना का नाम एवं पता	संबंधित पी0ए0एम0सी0	परियोजना	परियोजना लागत (रु0 लाख में)	स्वीकृत कुल अनुदान (रु0 लाख में)	पी0ए0एम0सी0 का निर्णय
1.	मेसर्स मंजू चौधरी, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण।	IL & FS	झाई वेयर हाउस आधारित आर0ए0बी0सी0	1821.02	432.82	सशर्त स्वीकृत। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अन्तर्गत प्रावधान के आलोक में (5) पाँच वर्षों तक इकाई किसी से सेल/लीज/हस्तान्तरण या अन्यत्र स्थानांतरण नहीं करेगी।
2.	मेसर्स महालक्ष्मी फूड इन्डस्ट्रीज, दरभंगा।	IL & FS	रस्क	190.57	43.89	सशर्त स्वीकृत। परियोजना के बैंक अप्रैजल में कम्पोनेन्ट वाइज अनुमान्य स्वीकृत की राशि के आधार पर परियोजना लागत एवं देय अनुदान की गणना की जायेगी।
3.	मेसर्स फारबिसगंज फूड प्रोसेसिंग प्रा0 लि0, फारबिसगंज, अररिया।	HEBE/ SPA	फ्लोर मिल	867.81	217.18	सैद्धांतिक स्वीकृत। (1) फ्लोर मिल के लिए उच्च श्रेणी एवं गुणवत्ता के मशीन, उपकरण के निर्माता भूल्लर एवं समकक्ष निर्माताओं के विरुद्ध मेसर्स ग्रेन एण्ड पल्सेस इंजीनियर्स के प्रति टन मूल्य का तुलनात्मक दर पी0ए0एम0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके उपरान्त स्वीकृति दी जायेगी। (2) इकाई के द्वारा निर्मित शेड पर हुए व्यय तथा मानक निर्माण (प्री-फैब्रिकेटेड निर्माण) पर होने वाले व्यय की तुलनात्मक विवरणी भी वर्गफीट में उपलब्ध कराई जाय। कुल व्यय में अन्तर की समीक्षा एवं मंतव्य भी माँगा जाय। इसके उपरान्त पुनः पी0ए0एम0सी0 में निर्णय लिया जायेगा।

4.	मेसर्स बिहारी सोया फूड्स प्रोसेसिंग प्रा० लि०, हरिहरपुर, बोधगया, गया	DARASHAW	सोयाबड़ी	145.49	28.05	बैंक अप्रैजल एवं परियोजना लागत में काफी अंतर पाया गया। समीक्षा के क्रम में सिविल कम्पोनेन्ट में प्रावधान अधिक होने के संदर्भ में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग को पी०एम०ए० के साथ प्रासंगिक इकाई का स्थल निरीक्षण कर परियोजना प्रस्ताव के आधार पर कम्पोनेन्टवाइज प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित किया जाना है।
5.	मेसर्स राजहंस कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०, तेघरा, बेगूसराय	SREI	आर०ए०बी०सी० विस्तार (Expansion)	386.67	41.98	विस्तारित योजना से संबंधित वित्तीय समापन तथा कार्यरत इकाई की क्षमता के विरुद्ध उपयोगिता एवं इस परिपेक्ष्य में उत्पादन प्रतिशत का आकलन कर तत्संबंधी प्रतिवेदन संबंधित पी०एम०ए० को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया कि इकाई के क्षमता विस्तार की आवश्यकता है या नहीं ? क्षमता के विरुद्ध उपयोगिता का सक्षम प्राधिकार का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे।

अन्यान्य :- सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव एवं निवेश के क्रम में यदि स्वीकृत परियोजना लागत अथवा अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी होती है तो ऐसे प्रस्तावों को पुनः पी०एम०सी० के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

वैसे अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव जिसके परियोजना लागत में बढ़ोत्तरी नहीं होती है या कमी होती है तो ऐसे प्रस्तावों के संदर्भ में अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी नहीं होने की स्थिति में यदि प्लान्ट एवं मशीनरी आपूर्तिकर्ता या अन्य मद में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन के फलस्वरूप अनुदान राशि में तत्संबंधी अनुमोदन हेतु निदेशक, खा० प्र० को सक्षम प्राधिकार के रूप में अधिकृत किया जाता है।

अन्त में बैठक सधन्यबाद समाप्त की गयी।

ह०/-

उप उद्योग निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ह०/-

निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ह०/-

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :-

सं०सं०- डी०टी०डी०/एफ०-०१- ०४/०९ पार्ट-१।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक :-

ह०/-

निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 510

पटना,

दिनांक :- 24/5/16

सं०सं०- डी०टी०डी०/एफ०-०१- ०४/०९ पार्ट-१।

प्रतिलिपि:- माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना/उप उद्योग निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, /उप निदेशक (तक०) खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना
